

डिकी मुकदमा इब्तदाई
(ओ 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत उपजिला कलक्टर टोडाभीम
बइजलास दुर्गा प्रसाद मीना आर.ए.एस.

उनवान

1. नन्दकिशोर पुत्र स्व0 हीरालाल
 2. संदीप पुत्र स्व0 हीरालाल
 3. माया पुत्री पुत्र स्व0 हीरालाल
 4. विधा पुत्री स्व0 हीरालाल
 5. शांति पत्नि स्व0 हीरालाल
- समस्त जाति खटीक निवासी महस्वा तहसील टोडाभीम जिला करौली

वादीगण

बनाम

1. छोटी पत्नि हरि
 2. अशोक पुत्र प्यारेलाल
 3. मंगती पुत्र प्यारेलाल
 4. लीला पुत्र प्यारेलाल
 5. रोशन पुत्र प्यारेलाल
- समस्त जाति डोम निवासी महस्वा तहसील टोडाभीम
6. हजारी पुत्र गुलाब जाति खटीक (मृतक)
6/1. राजू पुत्र हजारी
6/2 किरण पत्नि हजारी
6/3 मीना पुत्री हजारी
6/4 शारदा पुत्री हजारी
6/5 सरोज पुत्री हजारी
6/6 सुमन पुत्री हजारी
- समस्त जाति खटीक निवासी महस्वा तहसील टोडाभीम जिला करौली।
7. लटूरया पुत्र सुखराम जाति कोली निवासी महस्वा
 8. रामदयाल पुत्र बट्टी
 9. नरेश पुत्र बट्टी
- समस्त जाति खटीक निवासी महस्वा तहसील टोडाभीम जिला करौली।
10. जगमोहन पुत्र भौरया
 11. रामहरी पुत्र भौरया
 12. बृजमोहन पुत्र भौरया
 13. सुगर पुत्र श्यामलाल
 14. किरोडी पुत्र भगताराम (मृतक)
14/1 रामोतार पुत्र किरोडी
14/2 सीताराम पुत्र किरोडी
14/3 लोहकी पत्नि किरोडी
 15. बबलेश पुत्र भगताराम
 16. अशोक पुत्र भगताराम
 17. विजयराम पुत्र रामचरण
 18. राधे पुत्र बुद्धा (मृतक)
18/1 रामोतार पुत्र राधे
18/2 गणेश पुत्र राधे
18/3 रूप बाई पत्नि राधे


उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)



- 18/3 रूप बाई पत्नि राधे
 18/4 मीरा पुत्री राधे
 19. रामचरण पुत्र बुद्धा
 समस्त जाति मीना निवासी महस्वा तहसील टोडाभीम जिला करौली।
 20. तहसीलदार टोडाभीम जिला करौली।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत् तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा नं० 06/19


यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबई हमारे व हाजिरी रामभरोसी गुप्ता एडवोकेट मिनकानिब गुदई रुबरु मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है। व प्राथमिक डिक्री दी जाती है कि :-

अतः वादी नन्द किशोर, संदीप पि० हीरालाल हिस्सा 2/5, माया, विद्या पुत्रिया हीरालाल हिस्सा 2/5, शांति पत्नि हीरालाल हिस्सा 1/5, जाति खटीक सा.देह को ग्राम महस्वा की भूमि ख०न० 3238/1 रकवा 1.26 है० का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा जमाबन्दी के शेष इन्द्राजात बदस्तूर रहेंगे। नक्शा ट्रेस सलग्न रहेगा। प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जात है कि वादीगण के कब्जे काश्त की आराजी में मजाहमत मदाखलत नहीं करे।

निज मुबलिग बाबत् खर्चा इस मुकदमें के मय सूद बशहर फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक का अदा करे।

बसख्त मेरे दस्तखत व मुहद अदालत के आज तारीख 21.10.2019 को जारी की गई।




 उपजिला कलक्टर
 टोडाभीम (करौली)
 टोडाभीम

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत् इजराय हुक्मनामा		
बाबत् इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
	मीजान			मीजान	